कोल इण्डिया लिमिटेड
(एक महारत्न कंपनी)
(भारत सरकार का उपक्रम)
कारपोरेट पहचान संख्या L23109WB1973GOI 028844
'कोल भवन', परमाइस सं.04-1111, ए एफ -III
एक्शन एरिया-1 ए, न्यूटाउन, राजरहाट
कोलकाता-700156,

मूल रूप से हिंदी में पत्राचार / टिप्पण / आलेखन व अन्य कार्यालयीन कार्य करने संबंधी प्रोत्साहन योजना

1.0 **शीर्षक:**

1.1 इस योजना को **"मूल रूप से हिंदी में पत्राचार / टिप्पण / आलेखन व अन्य कार्यालयीन कार्य करने संबंधी प्रोत्साहन योजना"** कहा जाएगा।

2.0 **उद्देश्यः**

2.1 इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में सीआईएल मुख्यालय के कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है ।
(संदर्भ- कार्यालय ज्ञापन सं. 12013/01/2011 - रा.भा. नीति, दिनांक 14 सितम्बर 2016, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

3.0 **योजना की व्याप्तिः**

3.1 यह योजना सीआईएल मुख्यालय में पदस्थ सभी नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू होगी ।

4.0 **अवधि:**

4.1 इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान प्रतिभागी कार्मिकों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का आंकलन किया जाएगा ।

5.0 **पात्रताः**

5.1 सभी श्रेणियों के अधिकारी / गैर-अधिकारी स्तर के कार्मिक, जिनके द्वारा कार्यालयीन कार्य में मूल रूप से हिंदी में पत्राचार/टिप्पण/आलेखन किया जाना अपेक्षित है, इस योजना में भाग ले

सकते हैं । किंतु आशुलिपिक/निजी सचिव/सहायक जो हिंदी प्रोत्साहन संबंधी इस तरह की किसी अन्य योजना में पहले ही भाग ले रहे हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे । इसके साथ ही हिंदी कैडर के कार्मिक, जो सामान्यतः अपना कार्य हिंदी में ही करते हैं, वे भी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

6.0 मूल्यांकन मापदंड:

6.1 इस योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हिंदी में किए गए कार्यालयीन कार्य की मात्रा के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे ।

6.2 हिंदी में किए गए कार्यालयीन कार्य में पत्राचार/टिप्पण/आलेखन के अतिरिक्त आवेदन फार्म, व्यक्तिगत दावे आदि भरना/रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टियां करना आदि कार्य शामिल होगा ।

6.3 कार्मिकों द्वारा कम्प्यूटर पर हिंदी में किया गया कार्य भी इसमें शामिल होगा ।

6.4 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन के माध्यम से कराया गया कार्य भी कार्यालयीन कार्य में शामिल होगा ।

6.5 इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान अनुमोदित नोट/ड्राफ्ट में प्रयुक्त हिंदी शब्दों की संख्या के आधार पर अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी भी प्रेरणा स्रोत के रूप में पुरस्कार के पात्र होंगे । किंतु एक समय में एक ही पुरस्कार के लिए दावा किया जा सकता है । अर्थात वे मूल रूप से हिंदी पत्राचार / टिप्पण / आलेखन करने के लिए या प्रेरणा स्रोत के रूप में एक ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

7.0 पुरस्कारः

7.1 इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नानुसार न्यूनतम पत्राचार/टिप्पण/आलेखन मूल रुप से हिंदी में लिखने वाले कार्मिक पुरस्कार पाने के पात्र होंगे । कार्मिक द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर निम्नानुसार राशि या उतनी राशि का उपहार पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा ।

ग्रुप 'क'

ग्रुप 'क' - उन कार्मिकों के लिए है, जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया, बोडो, मणिपुरी अथवा असमिया है ।

क्र.सं.	पत्राचार/टिप्पण/आलेखन की संख्या	स्थान	पुरस्कार राशि	अधिकारियों / कर्मचारियों की सं.	कुल व्यय राशि
1	100 से 120	तृतीय	2,000/- रुपये	दो	4,000/- रुपये
2	121 से 150	द्वितीय	3,000/- रुपये	दो	6,000/- रुपये
3	151 से अधिक	प्रथम	5,000/- रुपये	दो	10,000/- रुपये
	91%-100% कार्य हिंदी में (न्यूनतम 200 पत्राचार / टिप्पण / आलेखन)		6,000/- रुपये	एक	6,000/- रुपये
				कुल	**26,000/- रुपये**

ग्रुप 'ख'

ग्रुप ख - उन कार्मिकों के लिए है, जिनकी मातृभाषा कॉलम ग्रुप 'क' से इतर कोई अन्य भाषा है।

क्र.सं.	पत्राचार/टिप्पण/आलेखन की संख्या	स्थान	पुरस्कार राशि	अधिकारियों / कर्मचारियों की सं.	कुल व्यय राशि
1	120 से 150	तृतीय	2,000/- रुपये	दो	4,000/- रुपये
2	151 से 180	द्वितीय	3,000/- रुपये	दो	6,000/- रुपये
3	181 से अधिक	प्रथम	5,000/- रुपये	दो	10,000/- रुपये
	91%-100% कार्य हिंदी में (न्यूनतम 200 पत्राचार / टिप्पण / आलेखन)		6,000/- रुपये	एक	6,000/- रुपये
				कुल	**26,000/- रुपये**

इस प्रकार दो वर्गों में एक वित वर्ष में पुरस्कार पर कुल 26,000 X 2 = 52,000/- (बावन हजार रुपये) का व्यय होगा ।

7.2 एक पत्र / टिप्पण / आलेखन में हिंदी में शब्दों की न्युनतम संख्या 50 (पचास) होनी चाहिए । 50 से कम हिंदी शब्द होने पर हिंदी पत्राचार/टिप्पण/आलेखन के रुप में गणना नहीं की जाएगी ।

7.3 पत्राचार की गणना करते समय मूल पत्राचार/टिप्पण/आलेखन अर्थात् भिन्न विषयों के आलेखों की गणना की जाएगी । एक समान मुद्रित या छायांकित (जेरोक्स) प्रारुप का प्रयोग करने पर केवल हस्तलिखित शब्दों की गणना की जाएगी जिसकी कम से कम संख्या एक पृष्ठ पर 50 होनी चाहिए ।

8.0 प्रेरणा स्रोत पुरस्कार

इसके तहत वे वरीय अधिकारी जो प्रस्तावित नोट के ऊपर टिप्पणी देते है या उसका अनुमोदन करते है, पुरस्कार पाने के पात्र होंगे ।

स्थान	**अनुमोदित टिप्पण / आलेखन में प्रयुक्त हिंदी शब्दों की संख्या**	**पुरस्कार राशि**	**पुरस्कार की संख्या**
1	1,000 से 2,000 शब्द	5000/-रूपए	एक
2	2001 से 3,000 शब्द	6000/-रूपए	एक
3	3,001 से अधिक शब्द	7000/-रूपए	एक

प्रेरणा स्त्रोत पुरस्कार के तहत एक वित्त वर्ष में कुल (7000 + 6000 + 5000) = 18,000/- (अठारह हजार रुपये) का व्यय होगा ।

8.1 वर्ष के दौरान उपर्युक्त मात्रा में हिंदी में कार्य करने वाले सभी कार्मिक पुरस्कार के पात्र होंगे । पुरस्कार राशि का भुगतान सीआईएल मुख्यालय में राजभाषा विभाग के बजट से किया जाएगा तथा विभाग के बजट में इसका प्रावधान करके भुगतान किया जाएगा । उक्त पुरस्कार नकद / चैक / ईएसएस या वस्तु रूप में प्रदान किए जाएंगे ।

9.0 योजना का प्रबंधनः

9.1 इस योजना का संचालन वार्षिक आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा ।

9.2 पात्र एवं इच्छुक कार्मिक विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में हिंदी पत्राचार/टिप्पण/आलेखन संबंधी सूचना का रिकार्ड राजभाषा विभाग को विचारार्थ उपलब्ध कराएंगे ।

9.3 उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों के संबंध में पुरस्कार का निर्णय करने के लिए निदेशक (का.एवं औ.सं.) के अनुमोदन से मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राजभाषा विभाग के प्रभारी अधिकारी तथा कार्मिक विभाग, वित्त विभाग एवं किसी तकनीकी विभाग से